कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः एम0ई0–3/यू0जी0–2023/1755 लखनऊःदिनांक 09/08/2023

यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियो के त्याग–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना।

शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारिण विषयक शासनादेश संख्या–।/348805/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी **दिनांक 19 अगस्त, 2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक** प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकते है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

महानिदेशक।